

**अनुदान संख्या 76 - राज्य सभा**  
**GRANT No. 76-RAJYA SABHA**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	Charged-			
मूल	Original	23,00		
पूरक	Supplementary	10,00	33,00	32,00
				-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	94,90,00		
पूरक	Supplementary	2,73,00	97,63,00	88,52,84
				-9,10,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			7,56,01

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (910.16 लाख रु.) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 273.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.910.16 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.273.00 lakhs obtained in March , 2006 and constituted 9 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2011"	Major Head "2011"			
संसद/राज्य/संघ राज्य	Parliament/State/Union			
क्षेत्रा विधानमंडल	Territory Legislatures			
मू.	O.	9490.00		
पू.	S.	273.00	9006.99	8852.84
पु.	R.	-756.01		-154.15

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) “संसद - राज्य सभा सचिवालय” के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) “सचिवालय” - 2858.30 लाख रु. के मूल प्रावधान को 195.40 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3053.70 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो प्रशिक्षण के लिए सचिवालय के अधिकारियों द्वारा कम विदेशी दौरे किए जाने के कारण 44.10 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) “प्रशिक्षण एकक”- पूरक अनुदान प्राप्त करके 75.00 लाख रु. की निधियां प्रदान की गई थीं तथापि, जो घरेलू और समुद्रपार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्मिकों की संख्या कम होने की वजह से पाठ्यक्रम शुल्क पर कम व्यय होने के कारण 15.31 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) “राज्य सभा - सदस्य” के अंतर्गत 812.53 लाख रु. की बचत (6480.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा दावे प्राप्त न होने, सदस्यों के टेलीफोन बिल कम प्राप्त होने और भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का विदेश दौरा रद्द किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) Supplementary grant obtained under “Parliament – Rajya Sabha Secretariat”- remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) “Secretariat” - the original provision of Rs.2858.30 lakhs was augmented to Rs.3053.70 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.195.40 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.44.10 lakhs - due to less foreign visits by officers of the secretariat for training.

(B) “Training Unit”- funds of Rs.75.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.15.31 lakhs - due to less expenditure on course fee owing to less number of officials undergoing domestic and overseas training.

(III) Under “Rajya Sabha - Members”- saving of Rs.812.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 6480.00 lakhs) was due to non-receipt of medical claims, less receipt of telephone bills of Members and cancellation of Indian Parliamentary Delegations visits abroad.